भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
पाक्षिक समाचार

सम्पर्क

आज़ादी का अमृत महोत्सव

खण्ड–XXVIII अंक–8 30 अप्रैल, 2023

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं भास्त्रपाणयः। धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्।।
यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिये हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिये अधिक कल्याणकारक होगा। **श्रीमद्भगवद्गीता 1/46**

स्वागत

- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2023/142369 दिनांक 11.04.2023 के अनुसार **प्रो. (सुश्री) वैष्णवी सुन्दरराजन** ने 06.04.2023 से संस्थान के कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी विभाग में सातवें वेतन आयोग के लेवल–12 में सहायक प्रोफेसर ग्रेड-I के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

  प्रो. (सुश्री) वैष्णवी सुन्दरराजन को उनकी नियुक्ति से तीन वर्ष की अवधि अथवा वेतन लेवल 13ए1 प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो, के लिए) संस्थान द्वारा प्रायोजित ''युवा संकाय प्रोत्साहन फेलोशिप'' भी प्रदान की गई है।

- स्थापना अनुभाग–I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2023/140483 दिनांक 11.04.2023 के अनुसार **प्रो. (सुश्री) प्रियंका वर्मा** ने 31.03.2023 से संस्थान के रसायन विज्ञान विभाग में सातवें वेतन आयोग के लेवल–12 में सहायक प्रोफेसर ग्रेड-I के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

  प्रो. (सुश्री) प्रियंका वर्मा को उनकी नियुक्ति से तीन वर्ष की अवधि अथवा वेतन लेवल 13ए1 प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो, के लिए) संस्थान द्वारा प्रायोजित ''युवा संकाय प्रोत्साहन फेलोशिप'' भी प्रदान की गई है।

सेवानिवृत्तियाँ

संस्थान के निम्नलिखित स्टाफ सदस्य अधिवर्षिता की आयु होने पर 30 अप्रैल, 2023 को अपराह्न में संस्थान से सेवानिवृत्त हो रहे हैं :–

श्रीमती सुनीता डांग (25793), उप प्रशासनिक अधिकारी, वायुमण्डलीय विज्ञान केन्द्र

श्रीमती सुनीता डांग ने 16 दिसम्बर, 1983 को संस्थान में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया था। 4 जून, 1986 को आपको कनिष्ठ आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किया गया। 1 जुलाई, 1995 को आर. ऐन्ड सी.डी.एस. के अन्तर्गत आपको वरिष्ठ आशुलिपिक के रूप में चयनित किया गया। 1 मई, 1998 को आर.सी.पी.एस. के अन्तर्गत आपको कनिष्ठ अधीक्षक के रूप में मैप किया गया तथा 1 जुलाई, 2009 में आपको एम.ए.सी.पी. के अन्तर्गत उन्नयन दिया गया। 8 दिसम्बर, 2022 को विभागीय पदोन्नति समिति के अन्तर्गत अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किय गया तथा 22 दिसम्बर, 2022 को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत उप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पुनर्पदनामित किया गया। सौम्य एवं मृदु स्वभाव की श्रीमती सुनीता डांग एक योग्य एवं समर्पित उप प्रशासनिक अधिकारी रही हैं।

श्रीमती मंजू शर्मा (25491), उप प्रशासनिक अधिकारी, समन्वय अनुभाग

श्रीमती मंजू शर्मा ने 23 मार्च, 1987 को संस्थान में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया था। 1 अप्रैल, 1995 को आर. ऐन्ड सी.डी.एस. के अन्तर्गत आपको प्रवर श्रेणी लिपिक के रूप में चयनित किया गया। 1 मई, 1998 मे आपको आर.सी.पी.एस. के अन्तर्गत वरिष्ठ सहायक के रूप में मैप किया गया तथा इसी योजना के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 2007 में आपको कनिष्ठ अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया। 23 मार्च, 2017 को एम.ए.सी.पी. के अन्तर्गत आपको उन्नयन दिया गया तथा 22 दिसम्बर, 2022 को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पुनर्पदनामित किया गया। 22 फरवरी, 2023 को विभागीय पदोन्नति समिति के अन्तर्गत आपको उप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया। मृदु एवं सौम्य स्वभाव की श्रीमती मंजू शर्मा एक कर्मठ एवं योग्य उप प्रशासनिक अधिकारी रही हैं।

श्री अनिल कुमार (26523), तकनीकी सहायक, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी विभाग

श्री अनिल कुमार ने 3 अप्रैल, 1984 को संस्थान में अटेन्डेन्ट के रूप में वेतनमान 850-1150/–रु. में कार्यभार ग्रहण किया था। 1 मई, 1992 में आपको आर. ऐन्ड सी.डी.

एस. के अन्तर्गत वेतनमान 950-1400/3250-4590/–रु. के वेतनमान में चयनित किया गया। 1 अगस्त, 2000 में आपको प्रयोगशाला सहायक के रूप में ग्रुप 'डी' से ग्रुप 'सी' में नियोजित किया गया तथा 3200-4900/रु. के वेतनमान में कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के रूप में मैप किया गया। 1 अगस्त, 2010 को आपको एम.ए.सी.पी. के अन्तर्गत वेतनमान 5200-20200/–रु. के साथ ग्रेड वेतन 2400/–रु. में उन्नयन दिया गया। 22 दिसम्बर, 2022 को आर. ऐन्ड पी.आर.एस. के अन्तर्गत आपको तकनीकी सहायक के रूप में पुनर्पदनामित किया गया। श्री अनिल कुमार एक योग्य एवं कर्मठ तकनीकी सहायक रहे हैं।

श्री मनी राम बेलवासे (70097), हेल्पर, ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिक केन्द्र

श्री मनी राम बेलवासे ने 31 मार्च, 1989 को संस्थान में ग्रुप 'डी' हेल्पर के रूप में वेतनमान 750-940/–रु. में कार्यभार ग्रहण किया था। 1 अप्रैल, 1994 को आर.सी.डी.एस. के अन्तर्गत आपको 2650-4000/–रु. के वेतनमान में उन्नयन दिया गया। 1 अप्रैल, 2004 में आपको एम.ए.सी.पी. के अन्तर्गत 3050-4590/5200-20200/–रु.+ ग्रेड वेतन 1900/–रु. में तथा 1 अप्रैल, 2014 में इसी योजना के अन्तर्गत ग्रेड वेतन 2000/– रु. में उन्नयन दिया गया। श्री मनीराम बेलवासे कर्मठ एवं मेनती हेल्पर रहे हैं।

संस्थान समुदाय उपरोक्त स्टाफ सदस्यों को भावभीनी विदाई देते हुए उनके व उनके परिवार के लिए सुख, समृद्धि एवं शांतिमय जीवन की कामना करता है।

छात्र कार्य परिषद एवं इसके घटकों के नवनिर्वाचित महासचिव/सचिव

छात्र कार्य अनुभाग से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/SAS/25/2023/ ISTA-145966 दिनांक 19.4.2023 के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिए छात्र कार्य परिषद एवं इसके घटक बोर्डों के महासचिव तथा छात्रावासों के हाउस, मैस एवं अनुरक्षण सचिव निम्नानुसार निर्वाचित घोषित किए गए हैं:–

(क) छात्र कार्य परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्डों के महासचिव

क्र.सं.	बोर्ड	नाम (श्री/सुश्री)	प्रविष्टि सं.	छात्रावास
1.	छात्र कार्य परिषद	संस्कार सोनी	2020CH10126	सतपुड़ा
2.	छात्रावास प्रबन्धन बोर्ड	सार्थक श्रीवास्तव	2020EE10550	उदयगिरि
3.	छात्र कल्याण बोर्ड	साहिल अग्रवाल	2020CH70191	विंध्याचल
4.	छात्र गतिविधि बोर्ड	भारत कुमार चौधरी	2020AM10644	जंस्कार
5.	छात्र प्रकाशन मंडल	सारा रोशन	2020PH10729	हिमाद्री
6.	मनोरंजनात्मक एवं सर्जनात्मक गतिविधि बोर्ड	कौशांक गुप्ता	2020TT11125	नीलगिरी

(ख) छात्र कार्य परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्डों के उप महासचिव

क्र.सं.	बोर्ड	नाम (श्री/सुश्री)	प्रविष्टि सं.	छात्रावास
1.	छात्र कार्य परिषद	तनिश कुमार राय	2020ME21063	गिरनार
2.	छात्र कल्याण बोर्ड	आरूषि नागपाल	2020ME10915	कैलाश
3.	छात्र गतिविधि बोर्ड	मनस्वी त्रिपाठी	2020TT11132	हिमाद्री
4.	छात्र प्रकाशन मंडल	निखिल गुप्ता	2020CH10105	अरावली
5.	मनोरंजनात्मक एवं सर्जनात्मक गतिविधि बोर्ड	दिव्यांश अग्रवाल	2020EE10488	कुमाऊं

(ग) छात्रावास प्रबन्धन बोर्ड के सचिव

क्र.सं.	नाम (श्री/सुश्री)	प्रविष्टि सं.	छात्रावास
1.	शौर्य गोविल	2021CH10439	काराकोरम
2.	रिया खन्ना	2021AM11072	कैलाश

(घ) छात्र कार्य परिषद के महासचिव

क्र.सं.	नाम (श्री/सुश्री)	प्रविष्टि सं.	छात्रावास
1.	सरिता	2022PHS7204	नालन्दा
2.	प्रिशा जैन	2021EE30330	हिमाद्री
3.	आदित्य शुक्ला	2021CE10510	जंस्कार
4.	सुहानी अग्रवाल	2021TT11154	कैलाश
5.	रोहित कुमार	2021CE10531	अरावली
6.	कुश जैन	2021MT10247	विंध्याचल
7.	आयुष सिंह	2021MT10899	सतपुड़ा
8.	आदित्य जैन	2021EE10633	शिवालिक
9.	हर्ष कुमार सिंह	2021ES10768	काराकोरम
10.	जसकरण सिंह सोढ़ी	2021MS10855	कुमाऊं

11.	विनीत सिंह	2021CH10412	ज्वालामुखी
12.	आदित्य आर्या	2021MT60958	गिरनार
13.	उदितांशु शर्मा	2021CH70437	नीलगिरी
14	श्री हर्षा दोरापुडी	2021MEZ8831	सप्तगिरी
15.	रितम दास गुप्ता	2021MT10900	उदयगिरी

(ड.) छात्रावास प्रबन्धन बोर्ड के प्रतिनिधि

क्र.सं.	नाम (श्री / सुश्री)	प्रविष्टि सं.	छात्रावास
1.	दृष्टि गर्ग	2022MAS7140	नालन्दा
2.	तनु श्री	2022EE11683	हिमाद्री
3.	अमृतेश आनन्द	2022ME22072	जंस्कार
4.	रितम	2022CH71489	कैलाश
5.	अनन्य मिश्रा	2022MT61965	उदयगिरी
6.	नीमिश दुग्गल	2022CE11531	अरावली
7.	स्यान बैनर्जी	2020CHZ8396	सतपुड़ा
8.	कौस्तुब वत्स	2022EE11151	कुमाऊं
9.	नेहुल दहिया	2022TT12133	विंध्याचल
10.	अनूप मिश्रा	2022MS11895	सतपुड़ा
11.	आदित्य यादव	2022ES11806	शिवालिक
12.	वृज पारिख	2022CS11084	काराकोरम
13.	सानिध्य मणि त्रिपाठी	2022ME11999	गिरनार
14.	आकाश गुप्ता	2022ME22085	नीलगिरी
15.	कुनाल अग्रवाल	2022BB11368	ज्वालामुखी

(च) हाउस सचिव

क्र.सं.	नाम (श्री / सुश्री)	प्रविष्टि सं.	छात्रावास
1.	दिव्यांशी ठाकुर	2020EE11015	हिमाद्री
2.	मेघा धारावत	2020BB10030	कैलाश
3.	अनिरुद्ध गर्ग	2020EE10469	उदयगिरी
4.	शिवांग अग्रवाल	2020MT10849	अरावली
5.	दुश्यंत सोनी	2021NRZ8676	सप्तगिरि
6.	हर्षित कालरा	2020CH10089	सतपुड़ा
7.	रनदीप सिंह सांगवान	2020CE10279	शिवालिक
8.	आदर्श आनन्द	2020CE10215	काराकोरम
9.	आकाश पाठक	2020CE10219	गिरनार
10.	मीनल अग्रवाल	2020TTZ8773	नालन्दा
11.	अनिमेश झावर	2020EE10468	कुमाऊं
12.	मानस जैन	2020EE10511	ज्वालामुखी
13.	सूर्यांश सिंह	2020CE10305	जंस्कार
14.	श्लोक मोहता	2020AM10670	नीलगिरी
15.	वैभव शिवरान	2020CH70201	विंध्याचल

(छ) मैस सचिव

क्र.सं.	नाम (श्री / सुश्री)	प्रविष्टि सं.	छात्रावास
1.	चाहत बंसल	2021CH10401	हिमाद्री
2.	शालिनी	2021TT11165	कैलाश
3.	रचित गुप्ता	2021ME10979	उदयगिरी
4.	देव प्रताप सिंह	2021TT11138	अरावली
5.	अजय	2021CYZ8359	सप्तगिरि
6.	आलोक आनन्द	2021EE10679	विंध्याचल
7.	मनन अग्रवाल	2020CH10097	सतपुड़ा
8.	हऋषिकेश डेका	2021CH10377	शिवालिक
9.	सानंद कटारिया	2021EE10711	काराकोरम
10.	आदित मलिक	2021TT11163	गिरनार
11.	शिवांग रामप्रियन द्विवेदी	2020MEZ8114	नीलगिरी
12.	संचित	2021ME21063	कुमाऊं
13.	दीपक चौधरी	2021MT10246	ज्वालामुखी
14.	अमित कुमार सम्राट	2020ME20995	जंस्कार

(ज) अनुरक्षण सचिव

क्र.सं.	नाम (श्री / सुश्री)	प्रविष्टि सं.	छात्रावास
1.	तनिशा अग्रवाल	2021CH10395	हिमाद्री
2.	अवेज पटेल	2021CE10474	जंस्कार
3.	गार्गी गुप्ता	2021TT11152	कैलाश
4.	चरन कंवल सिंह	2021BB10006	उदयगिरी
5.	संकल्प अग्रवाल	2021ME21064	अरावली
6.	सागनिक घोष	2021TTZ8082	सप्तगिरि
7.	बेदान्ता भौमिक	2021CS10097	विंध्याचल
8.	हिमांशु बिलखिवाल	2021EE30728	सतपुड़ा
9.	श्रेष्ठ ठकन	2021EE30730	शिवालिक
10.	शुभम राठी	2021EE30755	काराकोरम
11.	मयंक केजरीवाल	2021ME10001	गिरनार
12.	सौमिक शाहा	2021ME11032	नीलगिरी
13.	मुस्कान जैन	2022CYS7042	नालन्दा
14.	अनीस अहमद खान	2021ES10183	कुमाऊं
15.	रोहन दास	2021EE10621	ज्वालामुखी

आजादी का अमृत महोत्सव

''स्वराज्य के लिए लड़ना राजद्रोह नहीं''

बंगाल विभाजन (16 अक्टूबर, 1905) के देश के विरोध में बाल गंगाधर तिलक मुखर तौर पर स्वदेशी एंव बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए अंग्रेज नित नए प्रयास करने लगे थे। ऐसे ही एक प्रयास के दौरान दो लेखों के विरूद्ध चार आरोपों पर एक साथ मुकदमा चलाया जा रहा था। जिसके विरोध में उन्होंने भाषण दिया था। पढ़िए उस भाषण के अंश.....

मतवाले हाथी के समान कर्जन की सरकार लोकमत को हेय समझकर घास के समान उसकी उपेक्षा कर रही है, किंतु वह नहीं जानती कि यदि इस घास की रस्सी बना दी जाए तो इससे हाथी को भी बांधा जा सकता है। हजारों का जनसमुदाय यदि एक निश्चय के सूत्र में न बंधा हो तो निरर्थक है। लोकमत की शक्ति निश्चय में है, समुदाय या संस्था में नहीं। केवल कथनी से नहीं, करनी से काम चलेगा। इसके साथ–साथ निश्चय भी आवश्यक है।

केवल मेरी टिप्पणी पर आरोप लगाना संकुचित मानसिकता का लक्षण माना जाएगा और इसके लिए दंडित करना क्रूरता कही जाएगी। इन लेखों का उद्देश्य देश की वर्तमान परिस्थिति का विवरण देकर उसके लिए सरकार को उचित पग उठाने की सलाह देना था।

वैधानिक आंदोलन से मैं पूरी तरह निराश हूं। एक हो जाओं, लगन से कार्य करो और स्वराज्य प्राप्त करो। उसी से हम निर्धनता, महामारी, अकाल और भूखमरी से लागों की रक्षा कर सकते हैं। दादाभाई ने जब निश्चयपूर्वक सीधे–सादे शब्दों में स्पष्ट कहा कि स्वराज्य के अतिरिक्त हमारे उद्धार का दूसरा कोई मार्ग नहीं है तो क्षण भर के लिए ऐसा लगा, मानो कोई देवदूत हमारी वृद्ध पीढ़ी को अंतिम संदेश देने हेतु अवतरित हुआ हो।

अब राष्ट्रीयता का दमन नहीं किया जा सकता। वह अमर है, क्योंकि वह मानवरचित नहीं है। आज बंगाल में ईश्वर राष्ट्रीयता के रूप में कार्य कर रहा है। ईश्वर को मारा नहीं जा सकता और न उसे जेलों में बंद करके शांत ही किया जा सकता है।

जब एंग्लों इंडियन पत्र आवेश में आकर मनमाना लिखते हो, तब हमारे लिए उनकी दलीलों का खंडन कर सरकार को उचित राह दिखाना अपना कर्तव्य बन जाता है। मेरा यह दृढ़ मत है कि लोकमत की उपेक्षा करके बंगाल का विभाजन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन उसी के परिणाम है। यदि सरकार यह सोचती हो कि आतंकवाद और बमबाजी जैसी अनर्थकारी प्रवृत्तियों स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से पैदा होती है तो फिर उसके मूल कारण उस विभाजन को निरस्त क्यों नहीं करती। मुजफ्फरपुर में बम फेंका गया। यह मेरी दृष्टि में भी दुर्भाग्य है। एंग्लो इंडियन पत्रों का कठोर शब्दों में अनर्गल होकर टिप्पणियां करना भी एक दुर्भाग्य है। इन दुर्भाग्यों को दिखाने के लिए मैंने अपने लेख का शीर्षक है ''देश का दुर्भाग्य (देशांचे दुर्देव)' रखा था।

मैं यहां दया की भीख मांगने नहीं, न्याय के लिए खड़ा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सरकार मुझसे रुष्ट है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। सरकार क्या चाहती है, इसका विचार किए बिना आपको अपना मत स्पष्ट रूप से देना चाहिए। जिस प्रकार न्यायाधीश अपने निर्णय से कानून को विशिष्ट रूप देता है, उसी प्रकार जूरी भी कर सकती है। राजद्रोह का उद्देश्य था या नहीं इसका निर्णय करना जूरी का काम है। सरकार की शासन प्रणाली के विषय में शिकायत करना और राजकाज में हिस्सा मांगना राजद्रोह माना जा सकता है। कुछ लोग यह भी कह सकते है कि यदि आपको सरकार को परामर्श देना था तो किसी सरकारी अधिकारी के पास जाकर अपनी बात कहते, किंतु पत्रकार का यह काम नहीं और न मैं यह जानता हूँ कि यदि मैं उससे मिलने का प्रयत्न करूँ तो वह मुझसे कैसा व्यवहार करेगा। विपक्ष के बैरिस्टर ने कहा है कि मैं 'सत्ता चाहता हूँ। ठीक है मुझे अर्थात लोकपक्ष को सत्ता अवश्य चाहिए। यह बात मैंने शक्ति विभाजन आयोग के समक्ष भी कही थी। स्वराज्य के लिए लड़ना राजद्रोह नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी ऐसा निर्णय दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि मैं बमबाजी का विरोध करता हूं तो सरकार की दमन नीति के पक्ष में क्यों नहीं बोलता। जैसे और कोई मार्ग ही न रहा हो। यह नहीं कहा जा सकता कि बंगाल के युवक अराजकतावाद या विध्वंसक है। मैंने उनमें से कितने ही युवकों को जेलों में सड़ते हुए देखा हैं, किंतु मुझे एक भी ऐसा युवक नहीं दिखाई दिया जिसे स्वाधीनता से प्रेम न हों, कानून या व्यवस्था बिल्कुल पंसद न हो या सुनियंत्रित राज्य को आवश्यकता अनुभव न होती हो। प्रमाण के रूप में प्रस्तुत पोस्टकार्ड के विषय में कानून बना था, उस पर मुझे टिप्पणी करनी थी। इसीलिए किसी पुस्तक सूची से मैंने दो पुस्तकों के नाम मूल्य सहित लिख लिए थे। यदि इसके पीछे मेरा कोई गोपनीय उद्देश्य होता तो उस कार्ड को मैं इस तरह सामान्य कागजों में रखता। धारा 153 अ के अंतर्गत मुझ पर दो जातियों के बीच कटुता फैलाने का प्रयत्न करने का आरोप लगाया गया है, किंतु यह नहीं बताया गया है कि किन दो जातियों के बीच और किस उद्देश्य से मेरे कहने का आशय क्या था, इसका स्पष्टीकरण मैं ही अच्छी तरह दे सकता हूं। इसीलिए मैंनें अपने मामले की पैरवी स्वयं की है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं निर्दोष हूं। मैं न्याय की प्रार्थना करता हूं। यह प्रार्थना मैं किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा, अपितु जो काम मैंने अपने हाथ में लिया है, उसे सिद्ध करने के लिए कर रहा हूं। जिस काम के विषय में आपको अपना निर्णय देना है, वह बड़ा पवित्र है।

(डॉ मीना अग्रवाल की किताब
'लोकमान्य बालगंगाधर तिलक' से)
साभार–दैनिक जागरण

हिन्दी कक्ष द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित दूरभाषः EPABX 7144

मुद्रकः सागर प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, नई दिल्ली। ई–मेलः sagarprinters@gmail.com